

पूर्व मध्य रेल

अधिसूचना

विषय :- केंद्रीय चिकित्सालय/पूमरे/पटना हेतु स्वीकृत पारा-मेडिकल के पद को भरने के संबंध में।

संदर्भ :- (i) E(NG)II/2005/RC-4/SC/2 Pt.I dated 01.04.2024.

संदर्भित रेलवे बोर्ड के पत्र के शर्तों के अधीन केंद्रीय चिकित्सालय/पूमरे/पटना हेतु स्वीकृत पारा-मेडिकल के पद को रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारी को चिकित्सा विभाग में निम्नलिखित पदों के विरुद्ध मासिक पारिश्रमिक के आधार पर Re-engagement (पुनर्नियोजन) करने का निर्णय लिया गया है।

अधिसूचना हेतु पद :-

क्रम सं.	पद का नाम	पदों की संख्या
01	Staff Nurse	04
02	IUI Technician	01
03	Audiometry Technician	01
04	Dresser/Gr. III	16
05	Dental Hygienist	02
06	Eye Technician	01

पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त वैसे कर्मचारी जो निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो, से अनुलग्नक - 'क' के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया जाता है :-

- चिकित्सा विभाग से सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी पहले से ही उस विशिष्ट पद पर काम कर चुके हैं, जिसके लिए आवेदन किया गया है।
- वैसे कर्मचारी, जो अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त/पदच्युत या रेल सेवा से बर्खास्त किये गये हो और संरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना (SRSS)/संरक्षा कोटियों पर लागू उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (LARSCESS) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हुए हो, वैसे कर्मचारी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे।
- आवेदित पद के लिए निर्धारित चिकित्सा श्रेणी में फिट पाए जाने के उपरांत ही अंतिम रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी।
- पुनर्नियोजित किए गए कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसके/उसकी अंतिम आहरित वेतन (अर्थात Basic Pay + DA) से पेंशन राशि घटाकर की जाएगी। वार्षिक वेतन वृद्धि/महंगाई भत्ता/एचआरए देय नहीं होगा।
- निवास और कार्यस्थल के बीच आवागमन के प्रयोजन के लिए परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और सुनिश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी जो सेवानिवृत्ति के समय नियुक्त व्यक्ति पर लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ती अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण महीने के लिए 1.5 दिन की दर से सवैतनिक अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजित हेतु उपयुक्तता का निर्धारण नामित समिति द्वारा उनके पुनर्नियोजित से पहले व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।
- आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवार या स्थानान्तरण/पदोन्नति पर नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने पर पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा।
- प्रशासन पुनःनियुक्त कर्मियों की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि उनका प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा समाप्त किया जा सकता है।
- पुनर्नियोजित कर्मचारियों के काम के घंटे नियमित कर्मचारियों के सामान होंगे।
- ऐसे पुनःनियोजन की अवधि को किसी भी प्रयोजन के लिए सेवा के रूप में नहीं गिना जाएगा जैसा की नियमित सेवारत कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य है।
- कर्मचारियों की पुनःनियोजन पीएलबी या किसी अन्य अतिरिक्त लाभ के पात्र नहीं होंगे। इन्हें ईसीए, पीडब्लूए, भुगतान के तहत किसी भी कवरेज के लिए कवर नहीं किया जाएगा।
- ग्रेच्युटी अधिनियम या रेल सेवा के लिए स्वीकार्य कोई अन्य वैधानिक अधिनियम पुनर्नियोजित कर्मचारी पर लागू नहीं होगा।
- पुनर्नियोजित कर्मचारी किसी भी कल्याण योजना अर्थात सीजीए के अंतर्गत कवर नहीं होंगे।
- पुनर्नियोजित कर्मचारी नियमित की तरह स्वीकार्य किसी भी अग्रिम के हकदार नहीं होंगे।

Blue

17. यदि पुनर्नियोजित कर्मचारी के कारण रेल प्रशासन को किसी भी प्रकार की आर्थिक क्षति होती है, तो यह राशि उस कर्मचारी को रेलवे खाते में जमा करना होगा अन्यथा इसे देय पेंशन रिलीफ से समायोजित कर लिया जाएगा।
18. पुनर्नियोजित कर्मचारी से Cash Handling का कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा।
19. किसी भी प्रकार के अनुशासनहिनता, कर्तव्यों के प्रति शिथिलता तथा आचरण नियम के उल्लंघन के दोषी पाए जाने पर बिना किसी नोटिस, Show Cause या Explanation के इनकी सेवा जो समाप्त किया जा सकता है।
20. पुनर्नियोजित कर्मचारी इस बात का स्मरण रखें कि आपकी पुनर्नियोजन पूर्णतः अस्थायी है।
21. आपके पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी समस्त विनिर्दिष्ट नियम आप पर लागू होंगे तथा भविष्य में भी समय-समय पुनर्नियोजन से संबंधित रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नियमों-उपनियमों के तहत आपकी पुनर्नियोजन संचालित होगी एवं आप इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे।
22. चयनित कर्मचारियों को उनके संबंधित शाखा अधिकारी/वरिष्ठ पर्यवेक्षक द्वारा उनके लिए निर्धारित कार्यों को पूरा करना अनिवार्य होगा।
23. आरआरबी/आरआरसी से चयनित उम्मीदवारों के शामिल होने या नियमित पोस्टिंग पर कर्मचारियों को स्थानान्तरण/पदोन्नति पर या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, या पद सरेंडर के कारण या जनशक्ति नियोजन के कारण प्रशासन को सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, तो पुनर्नियोजित कर्मचारियों को सेवा में निरंतरता का अधिकार नहीं होगा।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना आवेदन निम्न संलग्न करते हुए दिनांक : 23.09.2024 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष जमा करेंगे, उक्त तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

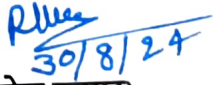
आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्वःअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न होनी चाहिए :-

- (i) सेवा प्रमाण पत्र, (ii) पेंशन पहचान पत्र, (iii) पेंशन भुगतान आदेश, (iv) अंतिम वेतन पर्ची, (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
- (vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो, (vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति,
- (viii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

संलग्न :- अनुलग्नक - 'क'

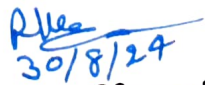
अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों से सेवानिवृत्त वैसे कर्मचारी जो उपरोक्त सभी नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हो एवं सहमत हो तो, वे अपना आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा अनुलग्नक - 'क' के माध्यम से सभी संबंधित प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दिनांक 23.09.2024 अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करेंगे, जिसमें लिफाफे पर सबसे ऊपर "पुनर्नियोजन हेतु आवेदित पद" का उल्लेख करते हुए आवेदान दे सकते हैं। दिनांक 23.09.2024 के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन भेजने का पता :-
सहायक कार्मिक अधिकारी/समन्वय
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर
पिन - 844101


 30/8/24
 (रमेश कुमार)
 सहायक कार्मिक अधिकारी/समन्वय
 कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महाप्रबंधक महोदय के निजी सचिव :- महाप्रबंधक के सादर सूचनार्थ के लिए.
2. महाप्रबंधक/कार्मिक/सतर्कता/पूमरे/हाजीपुर.
3. प्रमुचिनि/पूमरे/हाजीपुर.
4. चिकित्सा निर्देशक/सीएसएसएसएच/पटना.
5. मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी/पूमरे/हाजीपुर. (कृपया इसे प्रतिलिपि प्रसारित करें)
6. मरेप्र. (कार्मिक)/दानापुर/डीडीयू/सोनापुर/समस्तीपुर/धनबाद
7. सकाधि/एमपीपी : वेब साईट एवं सूचनापट्ट पर प्रकाशित करने हेतु
8. ईसीआरकेयू, ओबीसी, अजा-अजजा एसो.


 30/8/24
 कृते महाप्रबंधक/कार्मिक/हाजीपुर

पूर्व मध्य रेल

पूमरे से रेल सेवा से सेवानिवृत्त पारा मेडिकल कर्मचारियों के चिकित्सा विभाग/केंद्रीय चिकित्सालय/पूमरे/पटना में पुनर्नियोजन हेतु आवेदन।
(अधिसूचना सं. ECR-HQ/26/2022 दिनांक)

सेवा में,
महाप्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर
पिन 844101

मैं पूर्व मध्य रेल के केंद्रीय चिकित्सालय/पटना में उपरोक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा विभाग/मुख्यालय हाजीपुर में दिनांक ----- तक पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करता/करती हूँ। मेरा/मेरी सेवा विवरण निम्नवत हैं :-

1. नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. सेवा निवृत्ति के समय धारित पद :
4. किस मंडल/विभाग/यूनिट से सेवानिवृत्त हुए :
5. जन्म तिथि :
6. नियुक्ती तिथि :
7. सेवानिवृत्ति तिथि :
8. शैक्षणिक योग्यता :
9. पे बैंड + ग्रेड पे/पे लेवल (सेवानिवृत्ति के समय) :
10. आवेदित कोटि/पद पर की गई सेवा अवधि :
11. यदि सामान्य सेवानिवृत्ति के अलावे सेवानिवृत्त हुए हैं तो निम्न पर चिन्ह लगावें :

Voluntary Retirement	Compulsory Retirement/Dismissal Removal	Largesse/SRSS	Other

12. पत्राचार का पता (पिन नंबर सहित) :
13. मोबाइल नंबर : 1 2.
14. अंतिम आहरित मूल वेतन एवं वेतन बैंड :
15. बेसिक पेंशन :
16. सेवानिवृत्ति के समय मेडिकल कोटि :
17. पी.पी.ओ. नंबर :
18. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :
 - (i) सेवा प्रमाण पत्र
 - (ii) पेंशन पहचान पत्र
 - (iii) पेंशन भुगतान आदेश
 - (iv) अंतिम वेतन पर्ची
 - (v) बैंक पासबुक की छायाप्रति
 - (vi) नवीनतम दो पासपोर्ट साइज फोटो
 - (vii) आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की छायाप्रति
 - (viii) शैक्षणिक व तकनीकी योग्यता की छायाप्रति

मैं एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ की उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास में सही हैं। यदि किसी प्रकार की गलत सूचना पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ की अधिसूचना में दिये गये निर्धारित नियमों एवं शर्तों को निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी। मैं SRSS/LARSGESS एवं Medical Unfit for all categories से सेवानिवृत्त नहीं हुआ/हुई हूँ। 15 दिनों की पूर्व सूचना पर, बिना कोई स्पष्टीकरण या बिना कारण बताये मेरा पुनर्नियोजन समाप्त किया जा सकता है।

दिनांक
स्थान

सेवानिवृत्त कर्मचारी के हस्ताक्षर
नाम :
पूर्व पदनाम :
पूर्व कार्यालय :

